कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाषः (0771) 4065100-4065110 फैक्सः 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

सीनियर एक्जीक्यूटिव (मार्केटिंग), सीनियर एक्जीक्यूटिव (तकनीकी), जूनियर एक्जीक्यूटिव (तकनीकी), जूनियर एक्जीक्यूटिव (मार्केटिंग), मैनेजर शहद प्रसंस्करण, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा पद पर भर्ती हेतु अन्य उपबन्ध व शर्तेः-

1. आवेदन पत्र संघ के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियॉ सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वंय पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

2. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक एवं सही भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर यदि अन्य कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो नियोक्ता को आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त करने संबंधी आवश्यक सम्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा।

3. संविदा नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी उसके पश्चात् स्वमेव समाप्त हो जावेगी। कार्य की आवश्यकता एवं कार्यक्षमता के आधार पर ही संघ द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

4. संविदा नियुक्ति कर्मचारी को निर्धारित एक मुश्त वेतन के अलावा कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

5. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत 1 वर्ष के लिए होगी एवं नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 से शासित होंगे।

6. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता व अन्य प्रमाण-पत्रों (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर के मार्कशीट एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति) की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड, पासपोर्ट, किसी संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि में से कोई एक) की छायाप्रति स्वयं के द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

9. उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2018 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं हो। आयु के पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की मार्कशीट स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है।

क्रमशः 2

10. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक (छःहो) पदों हेतु आवेदन करना चाहते हों तो वे प्रत्येक पद हेतु पृथक - पृथक आवेदन पत्र दें। एक आवेदन पत्र केवल एक ही पद हेतु मान्य किया जावेगा। यदि एक ही आवेदन पत्र में दोनों पदों का उल्लेख किया गया है तो संबंधित आवेदन अमान्य किया जावेगा।

11. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र - छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमो / मंडल राज्य के उपक्रम / अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओ एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे भेज सकते हैं परन्तु इसके पश्चात् उन्हे अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे संघ को 1 माह में भेजने के लिए निवेदन कर देना चाहिए जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्त प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय संघ को प्रस्तुत करना होगा। यदि संघ को 1 माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संघ द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है।

12. पत्राचार हेतु आवेदन पत्र के साथ 9"X 4" साइज का स्वयं का पता लिखा हुआ एवं रू. 5.00 का टिकट चस्पा किया हुआ एक लिफाफा संलग्न करें।

13. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

14. आवेदन पत्र केवल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2018 की सायं 5.00 बजे तक इस कार्यालय के पते पर कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर स्वयं जमा किया जा सकता है अथवा आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से इस कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है लेकिन निर्धारित तिथि व समय के उपरांत इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

15. विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या के संबंध में निर्णय का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी का होगा।

16. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

17. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अमान्य किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

18. उपरोक्त (छःहो) पदों हेतु आवदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में अभ्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर / स्नातक शैक्षणिक योग्यता) में प्राप्त अंको के मैरिट के आधार पर (शार्ट लिस्ट) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना एवं अन्य प्रकार के किसी भी अपडेट / जानकारी हेतु संघ के वेबवाईट- www.cgmfpfed.org का नियमित / निरंतर अवलोकन करें।

क्रमशः 3

साक्षात्कार दिनांक को साक्षात्कार पूर्व अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता एवं अनुभव, अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा वे साक्षात्कार के लिए अपात्र माने जायेंगे। साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

19. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मुख्यालय रायपुर तथा राज्य के किसी भी जिला वनोपज सहकारी यूनियन कार्यालय में पदस्थ किया जा सकता है।

20. सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। आवश्यक होने पर सेवा वृद्धि के संबंध में सेवा सत्यापन / गोपनीय प्रतिवेदन में अनुकूल टिप्पणी होने पर ही सेवा वृद्धि की जा सकती है।

21. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बिना कोई कारण बताए सभी पदों को भरने अथवा भरे जाने वाले पदों की संख्या में परिवर्तन करने अथवा किसी भी पद को निरस्त करने अथवा यहाँ तक कि भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(सावित्री भगत)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर